न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पार्थवी, R.A.S.

करण संख्या : 23 / 18 **GCMS id :** 2018 / 00039

1. सीताराम आत्मज स्व. गोपाल जी, जाति बलाई, निवासी मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
2. जिला कलक्टर, कोटा

3–6. काली, ममता, नट्टी, भूली पुत्रियाँ स्व. पुष्पचन्द, जाति बलाई, निवासीगण मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
बाबत खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री रामकिशन वर्मा, वादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 29.10.2021

1- वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा, पेश किया गया।

2- वादी द्वारा अपने वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

* ग्राम मोरपा तहसील लाड़पुरा में खसरा नम्बर 267 / 435 की 0.15 हैक्टर किस्म बंजड सिवायचक भूमि स्थित चली आ रही थी, जिस पर वादी के पिता गोपाल आत्मज भैरू जी बलाई निवासी मोरपा वर्ष 1995 से काफी मेहनत कर भूमि को काबिल काश्त बना कर काश्त करते चले आ रहे थे। वादी के पिता ने उक्त भूमि को काफी पैसा खर्च कर उपजाउ बनाया है जिसमें वादी के पिता का काफी खर्चा हुआ है। उक्त भूमि की काश्त से ही वादी के पिता अपना व वादी के परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे थे। वादी के पिता के देहवसान हो जाने के बाद वादी लगातर आज दिन तक निरन्तर अबाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है।
* उपरोक्त खसरा नम्बर 267 / 435 की 0.15 हैक्टर भूमि पर वादी व उसके पिता का पिछले 22 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। इस संबंध में प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वर्ष 1997 से वादी के पिता के खिलाफ धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही की जाती रही है। जिसमें जुर्माने व लगान की राशि जमा करते चले आ रहे है।
* प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा सिवायचक भूमि पर वादी के पिता का कब्जा काश्त होने के कारण उनके प्रतिनिधि पटवारी हल्का द्वारा खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा

गैरमुस्तकील काश्त में व पी 14 की नकल में वादी के पिता द्वारा उपरोक्त भूमि पर काश्त किये जो का इन्द्राज हो रहा है।

* उक्त भूमि पर वादी के पिता का कब्जा होते हुये बिना मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये उक्त भूमि पुष्पचन्द को दिनांक 08.06.1999 को आवंटन कर दी व दिनांक 26.09.1999 को कागजों में दखल देना बता कर नामान्तरकरण संख्या 106 से दिनांक 30.09.1999 से पुष्पचन्द की गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गयी व पुष्पचन्द की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 237 दिनांक 28.01.2008 से दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि पर कभी भी पुष्पचन्द का उसके जीवनकाल तक व उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी नम्बर 3 ता 6 का कब्जा काश्त नहीं रहा।

* उक्त आवंटन बिना कब्जे की रिपोर्ट मंगवाये किया गया है तथा अवंटी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। इस कारण उक्त आवंटन से प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा उक्त आवंटन अवैध व अवैधानिक है तथा वादी के हितों के विपरीत व प्रभावशून्य है।

* वादी के पिता व वादी का पिछले 22 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काश्त चले आने के कारण वादी को उपरोक्त भूमि को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत व राजस्थान सरकार के आदेश क्रम 6(7) राज–4/77/15 दिनांक 16.10.2001 के आदेश के क्रम में उक्त भूमि को वादी अपने नाम नियमन कराने का अधिकारी है व उपरोक्त भूमि वादी, अपने नाम खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।

* वादी के पिता व वादी का पिछले 22 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त होने के बावजूद भी उक्त भूमि नियमन नहीं की है और प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादी के पिता को धारा 91 के नोटिस देकर कार्यवाही की जाती रही है व लगान तथा जुर्माना आदि वसूल किया जाता रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 के कर्मचारी पटवारी हल्का वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 16.03.2018 को आये तथा वादी को धमकी दी कि वादी को उक्त भूमि से बेखल कर देगे तथा वादी की बाई हुयी फसल को जप्त कर लेगे।

* वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 से कहा कि वादी के पिता व वादी का कब्जा वर्ष 1995 के पूर्व से चला आ रहा है तथा वादी उक्त भूमि का नियमन कराने का अधिकारी है। इस पर नियमन कार्यवाही करने को कहा तो प्रतिवादी नम्बर 1 ने नियमन की कार्यवाही नहीं की और नियमन करने से इन्कार कर दिया व भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण व उनके प्रतिनिधि ने वादी को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया व प्रतिवादीगण को उक्त अवैध कृत्य करने से नहीं रोका गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी।

* उपरोक्त परिस्थितियो में वादी के लिये माननीय न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी घोषणा का वाद लाना आवश्यक हो गया है, जिस हेतु यह वाद पेश है।

* वाद कारण प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 267/435 की 0.15 हैक्टर भूमि पर वादी के पिता व वादी का कब्जा वर्ष 1995

Pa...

से पूर्व का यानी पिछले 22 वर्षों से अधिक समय से लगातार चले आने के कारण, धारा लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही करने, लगान व जुर्माना आदि जमा करने, भूमि वादी के नाम नियमन न करने व दिनांक 06.04.2018 को वादी को बेदखल करने की धमकी देने पर पैदा हुआ।

* प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होने से पक्षकार बनाया गया हैं। वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिऐट रिलीफ से संबंधित है। इस कारण वादीगण ने वाद मे प्रतिवादी नम्बर 1 राजस्थान सरकार व उसके प्रतिनिधि प्रतिवादी नम्बर 2 को धारा 80 सीपीसी जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80(2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है, कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

* अतः वाद प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष मे इस आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि ग्राम मोरपा तहसील लाड़पुरा की खसरा नम्बर 267/435 की 0.15 हैक्टर भूमि का आवंटन वादी के हितों के विपरीत व अवैध तथा अवैधानिक होने से उसे निरस्त करते हुये उक्त भूमि का नियमन वादी अपने नाम कराने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 उक्त भूमि का नियमन नियमानुसार वादी के नाम कर दे। उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 267/435 की 0.15 हैक्टर को राजस्व रिकोर्ड से प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 के खाते से हटायी जाकर वादी के खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्ती फरमायी जावे। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 अमल दरामद करने हेतु पालना रिपोर्ट मंगवायी जाने हेतु आदेश प्रदान किया जावे। एक स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी को उपरोक्त ग्राम मोरपा तहसील लाड़पुरा की खसरा नम्बर 267/435 की 0.15 हैक्टर भूमि से वादी को बेदखल नहीं करे और न वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान ही पैदा करे। वाद व्यय प्रतिवादीगण से दिलायी जावे।

* वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नानुसार दस्तावेजात पेश किये गये –

प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत 2066–2069

प्रदर्श–2 नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057

प्रदर्श–3 नकल नक्शा ट्रेस संवत 2013–2014, सन् 1956–57

प्रदर्श–4 नकल नोटिस अन्तर्गत धारा 91

3- न्यायालय में पेश वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु जर्ये पंजीकृत डाक सम्मन जारी किये गये। उक्त डाक की Track report के अनुसार Item Delivery Confirmed प्राप्त हो जाने तक भी प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। तदुपरान्त सम्यक तामील की घोषणा उपरान्त प्रतिवादीगण को लगातार उपस्थिति का अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 6 की ओर से किसी के भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर

Shivam Sarkar

आदेश 9 नियम 6[1](क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के फलस्वरूप कोई विवादित बिन्दु नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं किये गये। वादी की ओर से वादी गवाह के साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये वादपत्र की प्रार्थना अनुसार विवादित आराजी से प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 6 का नाम हटाया जाकर वादी के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजात पर वादी अभिभाषक द्वारा प्रदर्श डाले गये।

4- प्रकरण पर विद्वान वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक ने अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 267/435 की 0.15 हैक्टर वादी के पिता गोपाल आत्मज भैरू जी बलाई निवासी मोरपा वर्ष 1995 से पिछले 22 बर्षो से अधिक समय से काश्त करते चले आ रहे थे। उक्त भूमि को काफी पैसा खर्च कर उपजाउ बनाया है जिसमें वादी के पिता का काफी खर्चा हुआ है। प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वर्ष 1997 से वादी के पिता के खिलाफ धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही की जाती रही है तथा वादी जुर्माने व लगान की राशि जमा करते चले आ रहे है। सिवायचक भूमि पर वादी के पिता का कब्जा काश्त होने के कारण खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा गैरमुमकिन काश्त में व प्रपत्र पी-14 की नकल में वादी के पिता द्वारा उपरोक्त भूमि पर काश्त किये जो का इन्द्राज हो रहा है। उक्त भूमि पर वादी के पिता का कब्जा होते हुये बिना मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये उक्त भूमि पुष्पचन्द को दिनांक 08.06.1999 को आवंटन कर दी व दिनांक 26.09.1999 को कागजों में दखल देना बता कर नामान्तरकरण संख्या 106 से दिनांक 30.09.1999 को पुष्पचन्द की गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गयी व पुष्पचन्द की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 237 दिनांक 28.01.2008 से दर्ज कर दी। उक्त आवंटन बिना कब्जे की रिपोर्ट मंगवाये किया गया है। तथा आवंटी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। उक्त आवंटन अवैध व अवैधानिक है तथा वादी के हितों के विपरीत व प्रभावशून्य है। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत व राजस्थान सरकार के आदेश क्रम 6(7) राज-4/77/15 दिनांक 16.10.2001 के आदेश के क्रम में उक्त भूमि को वादी अपने नाम नियमन कराने व अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 267/435 की 0.15 हैक्टर को राजस्व रिकोर्ड से प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 के खाते से हटायी जाकर वादी के खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

5- हमने वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा, प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 6 के पिता पुष्पचन्द को आवंटित आराजी 267/435 की 0.15 हैक्टर वाके ग्राम मोरपा का आवंटन निरस्त किया जाकर उसके राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 6 का नाम हटाया जाकर विवादित आराजी वादी के खाते दर्ज किये जाने सम्बन्धी अनुतोष चाहा गया है। वादी की ओर से पेश किये गये दस्तावेज

प्रदर्श–4 के अनुसार मामला संख्या 1098/97 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 267/435 रकबा 0.15 हैक्टर आराजी पर अतिक्रमण का वादी के पिता को (राज0) भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन जारी नोटिस की फोटोप्रति पेश की गई है, *इसके अतिरिक्त कोई नोटिस पेश नहीं किया गया और ना ही, उक्त नोटिस के पेटे जुर्माना जमा कराये जाने की कोई रशीद आदि पेश की गई है।* प्रदर्श–1 के अनुसार विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 6 की गैरखातेदार में दर्ज है। जहाँ तक आवंटी पुष्पचन्द को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 267/435 की 0.15 हैक्टर वाके ग्राम मोरपा का आवंटन निरस्त किया करने का प्रश्न है तो उस सम्बन्ध में वादी को चाहिये था कि वह आवंटन को निरस्त करवाने हेतु नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करते, जो कि उनके द्वारा नहीं की जाकर इस न्यायालय में वाद पेश किया। ज्ञातव्य है है कि इस न्यायालय को आवंटन निरस्त करने सम्बन्धी क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। आवंटन निरस्त होने के उपरान्त ही, (सिद्ध किये जाने की स्थिति में), वादी को आवंटन उपरान्त किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना और खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित और विधिसंगत होगा। खातेदार घोषित नहीं होने की स्थिति में विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार की इन्द्राज दुरूस्ती नहीं की जा सकती है। वादी की ओर से दावा पेश होने की तिथि को खुद वादी, विवादित आराजी का खातेदार नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं है। अतः आवंटन निरस्त करने सम्बन्धी क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 267/435 रकबा 0.15 हैक्टर वाके गाम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 6 क खाते दर्ज होने से खातेदारी घोषणा, राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) की इन्द्राज दुरूस्ती एवं प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 6 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

6- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 को मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर सारे इजलास सुनाया गया।

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– सुश्री पार्थवी, R.A.S.

उनवान :–

सीताराम आत्मज स्व. गोपाल जी, जाति बलाई, निवासी मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
– (वादी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
2. जिला कलक्टर, कोटा

3–6. काली, ममता, नट्टी, भूली पुत्रियॉं स्व. पुष्पचन्द, जाति बलाई, निवासीगण मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 23/18 GCMS id : 2018/00039
निर्णय दिनांक : 29-10-2021

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री रामकिशन वर्मा की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 29–10–2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी सुश्री पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर *आवंटन निरस्त करने सम्बन्धी क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 267/435 रकबा 0.15 हैक्टर वाके गाम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 6 क खाते दर्ज होने से खातेदारी घोषणा, राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) की इन्द्राज दुरुस्ती एवं प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 6 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा सम्बन्धी वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।* डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह अन्तिम डिक्री आज तारीख 29.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रुपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रुपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रुपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	